

(भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार  
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 2... सितम्बर, 2012

सा.का.नि. \_\_\_\_\_ (अ.) केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 610ख के साथ पठित धारा 642 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (केन्द्रीय सरकार) साधारण नियम और प्ररूप, 1956 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (केन्द्रीय सरकार) साधारण नियम और प्ररूप (छठा संशोधन) नियम, 2012 है।

(2) ये 30.09.2012 को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (केन्द्रीय सरकार) साधारण नियम और प्ररूप, 1956 के उपाबंध 'क' में प्ररूप 23कग और 23कगक के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात् :-

<p><b>" प्ररूप संख्या 23 कग</b> (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 220 और नियम 7ख देखें)</p>	<p>रजिस्ट्रार के पास तुलन-पत्र और अन्य दस्तावेज फाइल करने के लिए प्ररूप</p>
--	---

टिप्पण - \*चिह्नित सभी स्थानों को अनिवार्य रूप से भरा जाए।

- ई-प्ररूप में आने वाले अंकों को केवल पूर्णांक रूप में ही भरा जाना चाहिए। अंक, किसी अन्य इकाई जैसे सौ, हजार, लाख, दस लाख करोड़, में पूर्णांकित नहीं होने चाहिए।

\*फाइल किए जाने की तारीख को कंपनी की प्राधिकृत पूंजी ..... (रु. में)

\*फाइल किए जाने की तारीख को कंपनी के सदस्यों की संख्या.....

**भाग क**

**I कंपनी की साधारण जानकारी**

1 (क) \*कंपनी की निगमित पहचान संख्या (सीआईएन)..... (पूर्व भरे)

(ख) कंपनी की वैश्विक - अवस्थिति संख्या (जीएलएन).....

2. (क) कंपनी का नाम.....

(ख) कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता.....

(ग) \*कंपनी ई-मेल आईडी

3. (क) \*वह वित्तीय वर्ष जिससे तुलन पत्र संबंधित है दिन,मास,वर्ष

..... से ..... तक

(ख) \* निदेशक बोर्ड की बैठक की तारीख (दिन, मास, वर्ष) जिसमें तुलन-पत्र का अनुमोदन किया गया..... तारीख/मास/वर्ष

(ग) कंपनी के निदेशक (नेदेशकों) प्रबंध निदेशक, प्रबंधक, सचिव के ब्यौरे जिन्होंने तुलन-पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं।

जब तुलन-पत्र की तारीख 1 जुलाई, 2007 या उसके पश्चात् है निम्नलिखित ब्यौरे केवल उस दशा में भरे जाएं

निदेशक, प्रबंध निदेशक की दशा में निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) और प्रबंधक, सचिव की दशा में आयकर स्थायी खाता संख्या (आयकर पैन) उपलब्ध कराएं

(I)

डीआईएन या आयकर पैन (पूर्व भरें)	पदनाम
नाम	
तुलन-पत्र पर हस्ताक्षर करने की तारीख	तारीख/मास/वर्ष

(II)

डीआईएन या आयकर पैन (पूर्व भरें)	पदनाम
नाम	
तुलन-पत्र पर हस्ताक्षर करने की तारीख	तारीख/मास/वर्ष

(III)

डीआईएन या आयकर पैन (पूर्व भरें)	पदनाम
नाम	
तुलन-पत्र पर हस्ताक्षर करने की तारीख	तारीख/मास/वर्ष

(IV)

डीआईएन या आयकर पैन (पूर्व भरें)	पदनाम
नाम	
तुलन-पत्र पर हस्ताक्षर करने की तारीख	तारीख/मास/वर्ष

(V)

डीआईएन या आयकर पैन (पूर्व भरें)	पदनाम
नाम	
तुलन-पत्र पर हस्ताक्षर करने की तारीख	तारीख/मास/वर्ष

4.(क) निदेशक बोर्ड की बैठक की तारीख जिसमें धारा 217 के अधीन तारीख/मास/वर्ष.....को निर्दिष्ट बोर्ड की रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया है।

(ख) निदेशक (निदेशकों), प्रबंध निदेशक के ब्यौरे जिन्होंने बोर्ड की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए।

निम्नलिखित ब्यौरे तभी भरे जाएं जब निदेशक बोर्ड की बैठक 1 जुलाई, 2007 को या उसके पश्चात् हो।

(I)

डीआईएन	(पूर्व भरें)	पदनाम
नाम		
बोर्ड की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने की तारीख		तारीख/मास/वर्ष

(II)

डीआईएन	(पूर्व भरें)	पदनाम
नाम		
बोर्ड की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने की तारीख		तारीख/मास/वर्ष

(III)

डीआईएन	(पूर्व भरें)	पदनाम
नाम		
बोर्ड की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने की तारीख		तारीख/मास/वर्ष

5. लेखा परीक्षकों द्वारा तुलन पत्र पर रिपोर्ट के ..... दिन, मास, वर्ष हस्ताक्षर की तारीख

6.(क) \*क्या वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) हुई.....हां.....नहीं

(ख) यदि हां, एजीएम की तारीख.....तारीख/मास/वर्ष

(ग) \*एजीएम की नियत तारीख.....तारीख/मास/वर्ष

(घ) एजीएम तारीख जिसमें शेयरधारकों द्वारा खाते स्वीकार किए गए.....तारीख/मास/वर्ष

(ङ) \*क्या वित्त वर्ष या एजीएम के लिए कोई विस्तार मंजूर किया गया.....हां.....नहीं

(च) यदि हां, तो विस्तार की मंजूरी के पश्चात एजीएम की नियत तारीख.....तारीख/मास/वर्ष

7. प्ररूप 66 का सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन).....

8. (क) \*क्या कंपनी धारा 4 के अधीन यथापरिभाषित एक अनुषंगी कंपनी है.....हां.....नहीं

(ख) धारक कंपनी का सी आई एन, लागू हो..... (पूर्व भरें)

(ग) नियंत्रि कंपनी का नाम.....

(घ) धारा जिसके अधीन कंपनी एक अनुषंगी बनी है

9 (क) \*क्या कंपनी धारा 4 के अधीन यथापरिभाषित एक अनुषंगी कंपनी है.....हां.....नहीं

(ख) यदि हां, तो उस अनुषंगी कंपनी की संख्या उपदर्शित करें .....

अनुषंगी कंपनी की सीआईएन.....

अनुषंगी कंपनी का नाम.....

वह धारा जिसके अधीन कंपनी एक अनुषंगी कंपनी बनी.....

क्या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212(1) के अनुसरण में, अनुषंगी कंपनी के विवरण संलग्न किए गए हैं..... हां..... नहीं.....लागू नहीं होता

यदि हां, तो .....तारीख/मास/वर्ष से.....तारीख/मास/वर्ष तक के वार्षिक लेखे की अवधि

सभी पूर्व भरें

10. \*लेखा परीक्षकों की संख्या.....

(I) (क) लेखापरीक्षकों का प्रवर्ग  व्यष्टिक  लेखापरीक्षक की फर्म

(ख) \* लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षकों की फर्म की आयकर स्थायी संख्या

(ग) \*लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षकों की फर्म का नाम

(घ) \* लेखापरीक्षक की सदस्यता संख्या या लेखापरीक्षकों की फर्म की रजिस्ट्रीकरण संख्या

(ड.) \* लेखापरीक्षक या लेखा परीक्षकों की फर्म का पता

पंक्ति I .....

पंक्ति II .....

\*नगर .....

\*राज्य .....

देश.....

\*पिनकोड.....

(च) उपरोक्त फर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे सदस्य का ब्यौरा

नाम .....

सदस्यता संख्या .....

(छ) \*प्रारूप 23ख का एसआरएन

(II) (क) \*लेखापरीक्षक का प्रवर्ग व्यष्टिक 0 लेखापरीक्षक की फर्म 0

(ख) लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षकों की फर्म आयकर स्थायी संख्या

(ग) लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षकों की फर्म का नाम

(घ) लेखापरीक्षक की सदस्यता संख्या या लेखापरीक्षकों की फर्म की रजिस्ट्रेशन संख्या

(ड.) लेखापरीक्षक या लेखा परीक्षकों की फर्म का पता

पंक्ति I .....

पंक्ति II .....

नगर .....

\*राज्य .....

देश.....

पिनकोड.....

(च) उपरोक्त फर्म का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों के ब्यौरे

नाम .....

सदस्यता संख्या .....

(छ) प्रारूप 23ख की एस.आर.एन.सं. ....

11 (क) सरकारी कंपनी की दशा में या भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट पर टिप्पणी की है या अनुपूरक बनाया है.....हां.....नहीं

(ख) भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक से प्राप्त टिप्पणियों या अनुपूरकों के ब्यौरे उपलब्ध कराएं

--

(ग) भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक से प्राप्त टिप्पणियों पर निदेशक के उत्तर

--

(घ) क्या भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने धारा 619(3)(ख) के अधीन अनुपूरक या परीक्षण संपरीक्षा कराई है.....हां.....नहीं

12. (क) क्या कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची 6 लागू है .....हां.....नहीं

(ख) उद्योग का प्रकार .....

टिप्पण : यदि उद्योग के प्रकार बैंककारी या विद्युत या बीमा या एन.बी.एफ.जी से भिन्न हैं तब वाणिज्यिक और उद्योग (सी.एंड आई.) का चयन करें।

भाग ख. I तुलन पत्र (1.4.2011 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए लागू कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के अनुसार)

	विशिष्टियां	..... को समाप्त आंकड़े (चालू वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि (रुपए में)	..... के अंत में आंकड़े (पूर्व रिपोर्टिंग अवधि (रुपए में) .....
--	-------------	--	--

		..... दिन/मास/वर्ष	दिन/मास/वर्ष
<b>I</b>	<b>साम्म्या और दायित्व</b>		
<b>(1)</b>	<b>शेयरधारकों की निधियां</b>		
	(क) शेयरपूंजी		
	(ख) आरक्षित और अधिशेष		
	(ग) वारंट शेयरों के विरुद्ध प्राप्त धन		
<b>(2)</b>	<b>आबंटन होने तक शेयर उपयोजन धन</b>		
<b>(3)</b>	<b>गैर चालू दायित्व</b>		
	(क) दीर्घकालिक उधार		
	(ख) आस्थगित कर दायित्व (शुद्ध)		
	(ग) अन्य दीर्घकालिक दायित्व		
	(घ) दीर्घकालिक उपबंध		
<b>(4)</b>	<b>वर्तमान दायित्व</b>		
	(क) अल्पकालिक उधार		
	(ख) संदेय व्यापार		
	(ग) अन्य चालू दायित्व		
	(घ) अल्पकालिक उपबंध		
	<b>योग</b>		
<b>II</b>	<b>आस्तियां</b>		
<b>(1)</b>	<b>गैर चालू आस्तियां</b>		
	(क) नियत आस्तियां		
	(i) मूर्त आस्तियां		
	(ii) अमूर्त आस्तियां		
	(iii) प्रगति में कार्यरत पूंजी		
	(iv) विकास के अधीन अमूर्त आस्तियां		
	(ख) गैर चालू विनिधान		



	(ग) आस्थिगत कर आस्तियां		
	(घ) दीर्घकालिक उधार और अग्रिम		
	(ड.) अन्य गैर चालू आस्तियां		
(2)	वर्तमान आस्तियां		
	(क) चालू विनिधान		
	(ख) तालिकाएं		
	(ग) प्राप्य व्यवसाय		
	(घ) नकद और नकद समतुल्य		
	(ड.) अल्पकालिक उधार और अग्रिम		
	(च) अन्य चालू आस्तियां		
	योग		

**ख I. तुलन पत्र (1.4.2011 से पूर्व आरंभ होने वाले वित्तीय वर्ष को लागू)**

विशिष्टियां	अंत में विद्यमान आंकड़े (चालू रिपोर्टिंग अवधि) (रूप में) .....(दिन/मास/वर्ष)	अवधि के लिए आंकड़े (पिछले रिपोर्टिंग अवधि) के .....(दिन/मास/वर्ष)
निधियों के स्रोत		
संदत्त पूंजी		
शेयर उपयोजन धन (आवंटन होने तक)		
आरक्षित और अधिशेष		
प्रतिभूत उधार		
अ-प्रतिभूत उधार		
आस्थिगत कर दायित्व (शुद्ध)		
अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट में)		
योग		

निधियों का उपयोजन		
सकल नियत आस्तियां (मूर्त आस्तियां सम्मिलित करते हुए)		
घटाएं - अवक्षयण और अपाकरण		
शुद्ध नियत आस्तियां		
प्रगति में कार्यरत पूंजी		
विनिधान		
आस्थिगत कर आस्तियां (शुद्ध)		
चालू आस्तियां उधार, और ऋण		
(क) तालिकाएं		
(ख) विविध लेनदार		
(ग) नकद और बैंक अतिशेष		
(घ) अन्य वर्तमान आस्तियां		
(ड.) उधार अग्रिम		
घटाएं : चालू दायित्व और उपबंध		
(क) दायित्व		
(ख) उपबंध		
(ग) शुद्ध वर्तमान आस्तियां उस सीमा तक प्रकीर्ण व्यय जो अपलिखित नहीं हो या समायोजित नहीं हो		
लाभ और हानि लेखा		
अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)		
<input type="text"/>		

योग		
-----	--	--

तुलन पत्र की तारीख को यथा विद्यमान तुलन पत्र की मदों (रकम रुपए में) के ब्यौरे (पुनरीक्षित अनुसूची-6 के मामले में आवेदन) - जो 1.4.2011 को या उसमें पश्चात् आरंभ होने वाले वर्षों के लिए है।

(क) दीर्घकालिक उधार के ब्यौरे (अ-प्रतिभूत)

विशिष्टयां	चालू रिपोर्टिंग अवधि	पिछली रिपोर्टिंग अवधि
बंधपत्र/डिबेंचर		
उधारों की अवधि		
- बैंकों से		
- अन्य पक्षकारों से		
आस्थिगत संदाय दायित्व		
निक्षेप		
संबंधित पक्षकारों से उधार और अग्रिम		
वित्त पट्टा बाध्यताओं की दीर्घकालिक परिपक्वता		
अन्य सुधार और अग्रिम		
कुल दीर्घकालिक उधार (अप्रतिभूत)		
उपरोक्त योग में से निदेशकों द्वारा गारंटीकृत कुल रकम		

ख. अल्पकालिक उधार का ब्यौरा (अप्रतिभूत)

विशिष्टयां	चालू रिपोर्टिंग अवधि	पिछली रिपोर्टिंग अवधि
मांग पर संदेय उधार		
- बैंकों से		
- अन्य पक्षकारों से		
संबंधित पक्षकारों से उधार और अग्रिम		
निक्षेप		

अन्य उधार और अग्रिम		
कुल अल्पकालिक उधार (अप्रतिभूत)		
उपरोक्त योग में से निदेशकों द्वारा गारंटीकृत कुल रकम		

**ग. दीर्घकालिक उधार और अग्रिम का ब्यौरा (अ-प्रतिभूत, अच्छा समझा गया)**

विशिष्टयां	चालू रिपोर्टिंग अवधि	पिछली रिपोर्टिंग अवधि
अग्रिम पूंजी		
प्रतिभूति निक्षेप		
अन्य संबंधित पक्षकारों को उधार और अग्रिम		
अन्य उधार और अग्रिम		
कुल दीर्घकालिक उधार और अग्रिम		
घटाएं : डूबंत और शंकास्पद उधार तथा अग्रिम के लिए उपबंध/भत्ते		
- अन्य पक्षकारों से		
- अन्य से		
शुध दीर्घकालिक उधार और अग्रिम (अप्रतिभूत अच्छा समझा गया)		
कंपनी के निदेशक/अन्य अधिकारियों को शोध्य उधार और अग्रिम (अनुसूची-6 का टिप्पण 6 ठ (iv) देखें)		

**घ. दीर्घकालिक उधार और अग्रिम (शंकास्पद) का ब्यौरा**

विशिष्टयां	चालू रिपोर्टिंग अवधि	पिछली रिपोर्टिंग अवधि
अग्रिम पूंजी		
प्रतिभूति निक्षेप		
पक्षकारों से संबंधित उधार और अग्रिम		

अन्य उधार और अग्रिम		
कुल दीर्घकालिक उधार और अग्रिम		
घटाएं : डूबंत और शंकास्पद उधार और अग्रिम के लिए उपबंध/भत्ता		
- संबंधित पक्षकारों से		
- अन्य से		
शुध दीर्घकालिक उधार और अग्रिम (शंकास्पद)		
कंपनी के निदेशक/अन्य अधिकारियों को शोध्द्य उधार और अग्रिम (अनुसूची-VI का टिप्पण 6 ठ (iv) देखें)		

### ड. प्राप्त योग्य व्यवसाय का ब्यौरा

विशिष्टयां	चालू रिपोर्टिंग अवधि		पिछली रिपोर्टिंग अवधि	
	छः मास से अधिक	छः मास के भीतर	छः मास से अधिक	छः मास के भीतर
प्रतिभूत अच्छा समझा गया				
अप्रतिभूत अच्छा समझा गया				
शंकास्पद				
प्राप्त योग्य कुल व्यवसाय				
घटाएं : डूबंत और शंकास्पद उधार के लिए उपबंध/भत्ता				
शुद्ध प्राप्य व्यवसाय				
कंपनी के निदेशक/अन्य अधिकारियों द्वारा संदेय उधार (अनुसूची VI के टिप्पण 6.ड.iii.iii को देखें)				

III. वित्तीय पैरामीटर - तुलन पत्र मदें (रकम रुपए में) (जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए)

1. \*रिपोर्टिंग अवधि के दौरान नकद में प्राप्त संदाय के बिना संविदा के लिए आबंटित निर्गम की रकम .....
2. \*दिए गए आवेदित धन का शेयर .....
3. \*रिपोर्टिंग अवधि के दौरान दिया गया आवेदन शेयर धन .....
4. \*रिपोर्टिंग अवधि के दौरान प्राप्त आवेदन शेयर धन .....
5. \*विदेशी कंपनी द्वारा धारित संदत्त पूंजी .....
6. \*विदेशी नियंत्री कंपनी या उसकी सहायकी के माध्यम के द्वारा धारित संदत्त पूंजी .....
7. \*रिपोर्टिंग अवधि के दौरान वापस लिए गए शेयरों की संख्या .....
8. \*रिपोर्टिंग अवधि के दौरान स्वीकृत या पुनःनवीकृत निक्षेप .....
9. \*परिपक्व और दावा किए गए निक्षेप किन्तु रिपोर्टिंग अवधि के दौरान संदत्त नहीं किया गया .....
10. \*परिपक्व और दावा किए गए निक्षेप किन्तु संदत्त नहीं .....
11. \*परिपक्व निक्षेप किंतु दावा नहीं किए गए .....
12. \*गैर दावा किए गए परिपक्व डिबेंचर .....
13. \*दावा किए गए डिबेंचर किंतु संदत्त नहीं .....
14. \*उद्भूत और शोधय निक्षेप पर ब्याज किंतु संदत्त नहीं .....
15. \*असंदत्त लाभांश .....
16. \*सहायिकी कंपनी में विनिधान .....
17. \*सरकारी कंपनी में विनिधान .....
18. \*पूंजी आरक्षिति .....
19. \*शिक्षा और संरक्षण निधि विनिधान भत्ता (आई.ई.पी.एफ.) को अंतरण के लिए शोधय रकम .....
20. \*अंतर-कारपोरेट निक्षेप .....
21. \*एस 18 के अनुसार संव्यवहार का सकल मूल्य (यदि लागू हो) .....
22. \*सरकारी प्राधिकारी (यों) से प्राप्त पूंजी सहायता या अनुदान .....
23. \*निदेशकों द्वारा संदत्त मांगे .....
24. \*अन्य द्वारा संदत्त मांगे .....
25. \*समपहत शेयर बीमा (मूल रूप से संदत्त रकम) .....
26. \*पुनःनिर्गमित समपहत शेयर .....
27. \*विदेशी संस्थात्मक अधिकरणों से उधार .....

28. \*विदेशी कंपनियों से उधार .....
29. \*अंतर निगमित उधार प्रतिभूत .....
30. \*अंतर निगमित उधार अप्रतिभूत .....
31. \*वाणिज्यिक कागजपत्र .....
32. \*रिपोर्टिंग अवधि के दौरान साम्या शेयरों में वारंटों का संपरिवर्तन .....
33. \*रिपोर्टिंग अवधि के दौरान अधिमानी शेयरों में वारंट का संपरिवर्तन .....
34. \*रिपोर्टिंग अवधि के दौरान डिबेंचरों में वारंटों का संपरिवर्तन .....
35. \*रिपोर्टिंग अवधि के दौरान जारी किए गए वारंट (विदेशी मुद्रा में) .....
36. \*रिपोर्टिंग अवधि के दौरान जारी वारंट (रुपए में) .....
37. \*अल्पकालिक उधार और उस पर ब्याज के संदाय में चूक .....
38. \*दीर्घकालिक उधार और उस पर ब्याज के संदाय में चूक .....
39. \*क्या प्रचालित पट्टे को वित्तीय पट्टे में संपरिवर्तित किया गया है या विपर्ययेन  
 0 हां 0 नहीं

ऐसे संपरिवर्तनों के ब्यौरे प्रदान करें

--

40. कंपनी का शुद्ध मूल्य .....
41. शेयर धारकों की संख्या जिसको रिपोर्टिंग अवधि के दौरान प्राइवेट स्थापन के अधीन शेयर आबंटित किए गए हैं .....
42. \*प्रतिभूत उधार .....
43. \*सकल नियत आस्तियां (अमूर्त आस्तियों सहित) .....
44. \*अवक्षयण और अपाकरण .....
45. \*उस सीमा तक प्रकीर्ण ब्याज जो अपलिखित या समायोजित नहीं है .....

**IV. रिपोर्टिंग अवधि के दौरान ली गई शेयर पूंजी (राशि रुपए में)**

	साम्या शेयर	अधिमानी शेयर	कुल
(क) लोक निर्गम			
(ख) बोनस निर्गम			
(ग) राइट निर्गम			
(घ) डिबेंचर/अधिमानी शेयरों के			

संपरिवर्तन से उद्भूत प्राइवेट स्थापन			
(ड.) अन्य प्राइवेट स्थापन			
(च) डिबेंचर/अधिमान शेरों के संपरिवर्तन से उद्भूत अधिमान शेयर			
(छ) अन्य अधिमान आवंटन			
(ज) कर्मचारी स्टाक विकल्प योजना (ईएसओपी)			
(झ) अन्य			
(ञ) रिपोर्टिंग अवधि के दौरान ली गई शेयरपूंजी की कुल रकम			

V. अर्हता (एं), प्रतिबंध (धों) के ब्यौरे या लेखापरीक्षकों द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणी (यां)

1. क्या लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट अर्हित है या कोई प्रतिबंध है या प्रतिकूल टिप्पणियां अंतर्विष्ट है  
 हां  नहीं

2(क) लेखापरीक्षकों की अर्हता (एं), प्रतिबंध (धों) या प्रतिकूल टिप्पणियां (टिप्पणियां)

(ख) बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार लेखापरीक्षकों की अर्हता (ओं), आरक्षण (णों) या प्रतिकूल टिप्पणी (यां) पर निदेशक की टीका - टिप्पणियां

VI. कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 (सी.ए.आर.ओ.) के प्रति निर्देश से ब्यौरे

1. क्या कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2003 (सी.ए.आर.ओ.) लागू है  
 हां  नहीं



2. कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 (सी.ए.आर.ओ.) के अधीन विनिर्दिष्ट मदों पर लेखापरीक्षक की टीका-टिप्पणियां


विशिष्टियां	रिपोर्ट पर लेखापरीक्षक की टिप्पणियां
नियत आस्तियां	
तालिकाएं	
कंपनी द्वारा दिया गया या लिया गया उधार	
धारा 301	
लोक निक्षेप की स्वीकृति	
लागत अभिलेख का अनुरक्षण	
शोधक कानून	
उधार ली गई निधियों का अंतिम उपयोग	
विशेष कानून - चिटफंड कंपनियां	
निधि/परिपक्व फायदा निधि - विशेष पहलू	
वित्तपोषित कंपनियां - विशेष पहलू	
उधार की अवधि	
अधिमान्नी आबंटन	
निधियों के अंतिम उपयोग का प्रकटन	
अन्य	

VII. लागत संपरीक्षा के अधीन मूल उत्पाद या क्रियाकलाप समूहों की लागत लेखापरीक्षा से संबंधित ब्यौरे।

1. \*क्या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(1)घ के अधीन अधिसूचित किसी लागत लेखा अभिलेख नियम के अधीन कंपनी द्वारा लागत अभिलेख के अनुरक्षण को आज्ञापक बनाया गया है।  हां  नहीं

2. क्या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 233ख के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा कंपनी के लागत अभिलेख को आज्ञापक बनाया गया है  हां  नहीं


3. यदि हां, तो लागत लेखा में अधीन उत्पाद या नये समूह का नाम का उल्लेख करें



### संलग्नक

1. धारा 215 के अनुसार सम्यक रूप से अधिप्रमाणित तुलन-पत्र तथा अन्य दस्तावेजों की प्रति (जिसमें बोर्ड की रिपोर्ट, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज भी सम्मिलित हैं) पीडीएफ में परिवर्तित रूप विधान में) **संलग्न करें**
2. धारा 212 के अनुसार अनुषंगी कंपनियों के विवरण। **संलग्न करें**
3. वार्षिक साधारण अधिवेशन (एजीएम) में तुलन-पत्र को स्वीकार न करने के संबंध में तथ्य और कारणों का विवरण **संलग्न करें**
4. वार्षिक साधारण अधिवेशन न करने के संबंध में तथ्य और कारणों का विवरण। **संलग्न करें**
5. वित्तीय वर्ष या वार्षिक साधारण अधिवेशन की समय में बढ़ोत्तरी से संबंधित अनुमोदन पत्र **संलग्न करें**
6. धारा 619 (3)(ख) के अधीन संपूरक या परीक्षण संपरीक्षा रिपोर्ट **संलग्न करें**
7. वैकल्पिक संलग्नक - यदि कोई हो।

### संलग्नकों की सूची



संलग्नक हटाएं

### सत्यापन

मैं यह पुष्टि करता हूँ कि उपरोक्त उल्लिखित सभी विशिष्टियां संलग्न तुलन-पत्र और अन्य संबद्ध दस्तावेजों के अनुसार सही हैं जो कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन यथाअपेक्षित सम्यक रूप से हस्ताक्षरित और अधिप्रमाणित है। मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार इस प्ररूप तथा इसके संलग्नकों में दी गई जानकारी सही तथा पूर्ण है।

मुझे निदेशक बोर्ड के संकल्प संख्या\*.....तारीख\*..... (तारीख/मास/वर्ष) के द्वारा इस प्ररूप पर हस्ताक्षर और प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

निम्न के द्वारा अंकीय हस्ताक्षरित किया जाए

कंपनी का प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधक या सचिव

\*पदनाम .....

\*निदेशक या प्रबंध निदेशक का डीआईएन;

या प्रबंधक का आयकर पैन;

या सचिव की सदस्यता संख्या, यदि लागू हों;

या सचिव का आयकर पैन (कंपनी का सचिव जो आईसीएसआईर का सदस्य नहीं है अपना आयकर पैन उल्लिखित कर सकता है/कर सकती है)

**प्रमाण-पत्र**

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने अभिलेख से उपरोक्त विशिष्टियां (संलग्नक सहित) को सत्यापित किया है और उन्हें सत्य और सही पाया है।

मैं आगे यह प्रमाणित करता हूं कि सभी अपेक्षित संलग्नकों को इस प्ररूप से ठीक तरह से संलग्न किया गया है।

चार्टर्ड अकाउंटेंट (पूर्णकालिक व्यवसाय में) .....लागत लेखाकार (पूर्णकालिक व्यवसाय में) या

कंपनी सचिव (पूर्णकालिक व्यवसाय में)

\*क्या सहबद्ध या फेलो है.....सहबद्ध .....फेलो

\*सदस्यता संख्या या व्यवसाय संख्या का प्रमाण-पत्र .....

**उपांतरित**

**जांच प्ररूप**

**पुनः संवीक्षा**

**प्रस्तुत**

इस ई-प्ररूप को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कंपनी के रजिस्ट्रार द्वारा अनुरक्षित फाइल पर फाइल करने वाली कंपनी द्वारा दिए गए सत्यता के कथन के आधार पर लिया गया है।”

## " प्ररूप संख्या 23 कगक

(कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 220 और नियम 7ख देखें)

रजिस्ट्रार के पास लाभ और हानि खाता और अन्य दस्तावेज फाइल करने के लिए प्ररूप

टिप्पणी - चिह्नित सभी स्थानों को अनिवार्य रूप से भरा जाए।

- ई-प्ररूप में आने वाले अंकों को केवल पूर्णांक रूप में ही भरा जाना चाहिए। अंक किसी अन्य ईकाई जैसे सौ, हजार, लाख, दस लाख, करोड़ में पूर्णांकित नहीं होने चाहिए।

फाइल किए जाने की तारीख को कंपनी की प्राधिकृत पूंजी.....(रु. में)

फाइल किए जाने की तारीख को कंपनी के सदस्यों की संख्या.....

### भाग क

#### I कंपनी की साधारण जानकारी

1 (क) \*कंपनी की निगमित पहचान संख्या (सीआईएन)..... **पूर्व भरे**

(ख) कंपनी की वैश्विक - अवस्थिति संख्या (जीएलएन).....

2. (क) कंपनी का नाम.....

(ख) कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता.....

3. (क) \*.....तारीख/मास/वर्ष से .....तारीख/मास/वर्ष तक लाभ और हानि खाते की अवधि

(ख) \*लेखापरीक्षकों द्वारा वार्षिक लेखाओं पर रिपोर्ट के हस्ताक्षर की तारीख

4. (क) \*क्या कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची 6 लागू है

○ हां ○ नहीं

(दिन/मास/वर्ष)

(ख) उद्योग का प्रकार .....

टिप्पण : यदि उद्योग का प्रकार बैंककारी या विद्युत या बीमा या एन.बी.एफ.पी. से भिन्न है तो वाणिज्यिक और उद्योग (सी.एंड.आई.) का चयन करें।

भाग ख.

I लाभ और हानि का विवरण (1.4.2011 को आरंभ होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए लागू कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची-6 के अनुसार)

विशिष्टियां	अवधि के लिए आंकड़े (वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि) ..... दिन/मास/वर्ष) से ..... (दिन/मास/वर्ष) तक	अवधि के लिए आंकड़े (पूर्व रिपोर्टिंग अवधि) ..... दिन/मास/वर्ष) से ..... (दिन/मास/वर्ष) तक
<b>I. प्रचालन से राजस्व</b>		
देशी व्यापारवर्त		
(i) विनिर्मित माल की बिक्री		
(ii) व्यापार किए गए माल की बिक्री		
(iii) सेवाओं की बिक्री या प्रदाय		
निर्यात व्यापारवर्त		
(i) विनिर्मित माल की बिक्री		
(ii) व्यापार किए गए माल की बिक्री		
(iii) सेवाओं की बिक्री या प्रदाय		
अन्य आय		
<b>III. कुल राजस्व (I+II)</b>		
<b>IV. व्यय</b>		
खपत की गई सामग्री की लागत		
व्यापार में स्टॉक का क्रय		
तैयार माल, कार्य प्रगति और व्यापार में स्टॉक की तालिकाओं में परिवर्तन		
कर्मचारियों के फायदे के व्यय		
प्रबंधकीय पारिश्रमिक		
लेखापरीक्षकों का भुगतान		

बीमा खर्च		
विद्युत तथा ईंधन		
वित्तीय लागत		
अवक्षयण एवं अपाकरण		
अन्य व्यय		
कुल व्यय		
V. आपवादिक और असाधारण मदों से पूर्व लाभ और कर (III-IV)		
VI. आपवादिक मदें		
VII. असाधारण मदों के पूर्व लाभ और कर (V-VI)		
VIII. असाधारण मदें		
IX. कर से पूर्व लाभ (VII- VIII)		
X. कर व्यय (1) वर्तमान कर (2) आस्थिगत कर		
XI. लगातार प्रचालनों से अवधि के लिए लाभ/(हानि)		
XII. प्रचालन को रोकने में लाभ/ (हानि)		
XIII. प्रचालन रोकने के कर व्यय		
XIV. प्रचालन रोकने से लाभ (हानि) (कर पश्चात) (XII-XIII)		
XV. लाभ/(हानि) (XI+XIV)		
XVI. प्रति साम्या शेयर अर्जन		

(1) तात्विक		
(2) दवीकृत		

I. लाभ और हानि का विवरण (1.4.2011 से पूर्व आरंभ होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए लागू)

विशिष्टियां	अवधि के लिए आंकड़े (वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि) ..... दिन/मास/वर्ष) से ..... (दिन/मास/वर्ष) तक	अवधि के लिए आंकड़े (रूप में) (पिछली रिपोर्टिंग अवधि) ..... दिन/मास/वर्ष) से ..... (दिन/मास/वर्ष) तक
देशी व्यापारवर्त		
(i) विनिर्मित माल की बिक्री		
(ii) व्यापार किए गए माल की बिक्री		
(iii) सेवाओं की बिक्री या प्रदाय		
निर्यात व्यापारवर्त		
(i) विनिर्मित माल की बिक्री		
(ii) व्यापार किए गए माल की बिक्री		
(iii) सेवाओं की बिक्री या प्रदाय		
अन्य आय		
<b>कुल आय</b>		
खपत किया गया कच्चा माल (देखें टिप्पण-1)		
पुनः बिक्री के लिए किया गया क्रय (देखें टिप्पण-2)		
भंडार और अतिरिक्त पुर्जों की खपत (देखें टिप्पण-3)		
तैयार माल, चालू काम में (वृद्धि) एवं कमी		
वेतन, मजदूरी और बोनस		
प्रबंधकीय पारिश्रमिक		

लेखापरीक्षकों का भुगतान		
ब्याज		
बीमा खर्च		
विद्युत तथा ईंधन		
अवक्षयण एवं अपाकरण		
अन्य व्यय		
कुल व्यय		
शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि (कर और विनियोग पूर्व)		
आयकर जिसमें आस्थगित कर भी है		

टिप्पण-1 खपत की गई अपरिष्कृत सामग्री निम्नलिखित गणना के अनुसार दी जाएगी-  
कच्ची सामग्री का प्रारंभिक स्टॉक + कच्ची सामग्री का क्रय - कच्ची सामग्री का अंतिम स्टॉक

टिप्पण-2 पुनः बिक्री के लिए क्रय किए जाने वाले माल की गणना निम्नलिखित रूप में की जाएगी -- व्यापार किए गए माल का प्रारंभिक स्टॉक + व्यापार किए गए माल के क्रय - व्यापार किए गए माल का अंतिम स्टॉक

टिप्पण-3 भंडार और अतिरिक्त पुर्जों के उपभोग की गणना निम्नलिखित रूप से की जाएगी ---

भंडार और अतिरिक्त पुर्जों का प्रारंभिक स्टॉक + भंडार और पुर्जों का क्रय - भंडार और पुर्जों का अंतिम स्टॉक

II. लाभ और हानि मर्दों के ब्यौरे (रुपए में रकम) (पुनरीक्षित अनुसूची-VI के मामले में लागू - जो 1.4.2011 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए है।

क विदेशी मुद्रा के अर्जन के ब्यौरे

विशिष्टियां	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि	पूर्व रिपोर्टिंग अवधि
एफओबी आधार पर संगणित माल का निर्यात		





4. \*विदेशी मुद्रा में व्यय .....
5. \*सरकारी प्राधिकारी (यों) से प्राप्त.....  
सहायता, राजस्व और अनुदान
6. \*संदत्त किराया .....
7. भंडार और अतिरिक्त पुर्जों की खपत .....
8. \*संबंधित पक्षों में ए.एस. - 18 के अनुसार संबंध के संव्यवहार का सकल मूल्य (यदि लागू हो) .....
9. \*संबंधित पक्षों के डूबत ऋण ए.एस. - 18 के अनुसार (यदि लागू हो).....

#### IV. कंपनी के मुख्य उत्पादों या सेवाओं से संबंधित ब्यौरा

उत्पाद/सेवा प्रवर्ग (प्रवर्गों), की कुल संख्या .....

1. उत्पाद या सेवा प्रवर्ग कोड (आई.टी.सी./एनपीसीपी चार अंक कोड) .....

उत्पाद या सेवा प्रवर्ग का वर्णन .....

उत्पाद या सेवा प्रवर्ग में आवर्त (..... में) .....

उच्चतम आवर्त जो उत्पाद या सेवा कोड में अंशदान कर रहा है (आई.टी.सी./एन.पी.सी.सी. 8 अंकीय कोड)

उत्पाद या सेवा का वर्णन .....

उच्चतम अंशदान उत्पाद या सेवा का आवर्त (..... में) .....

टिप्पण- कृपया उत्पाद कोडों के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी सामंजस्यपूर्ण वस्तु वर्णन और कोडिंग प्रणाली पर आधारित "भारतीय व्यापार वर्गीकरण"

और साखियकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी सेवा कोडों के लिए सेवा के लिए राष्ट्रीय उत्पाद वर्गीकरण (एन.पी.एस.एस.) देखें।”

**V. लेखापरीक्षकों द्वारा की गई अर्हताएं, प्रतिबंध और प्रतिकूल टिप्पणी(यों) के ब्यौरे**


1. क्या लेखापरीक्षक की रिपोर्ट अर्हित रही है या उसमें कोई प्रतिबंध है या उनमें प्रतिकूल टिप्पणियां हैं.....हां.....नहीं
2. (क) लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में लेखापरीक्षक की अर्हताएं, प्रतिबंध या प्रतिकूल टिप्पणियां

(ख) लेखापरीक्षकों की अर्हता, प्रतिबंध या प्रतिकूल टिप्पणियों पर बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार निदेशक की टिप्पणियां

**संलग्नक**

1. लाभ और हानि खाता, (पीडीएफ परिवर्तित रूप से) धारा 215 के अनुसार सम्यक रूप से अधिप्रमाणित संलग्न करें
2. धारा 212 के अनुसार अनुषंगी कंपनियों के विवरण संलग्न करें
3. वैकल्पिक संलग्नक - यदि कोई हो संलग्न करें

**संलग्नकों की सूची**



संलग्नक हटाएं

### सत्यापन

मैं यह पुष्टि करता हूं कि उपरोक्त उल्लिखित सभी विशिष्टियां संलग्न लाभ और हानि और अन्य दस्तावेज के अनुसार सही हैं जिन्हें कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन यथाअपेक्षित सम्यक रूप से हस्ताक्षरित एवं अधिप्रमाणित किया गया है।

मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार प्ररूप और इसके साथ संलग्न किए गए संलग्नकों में दी गई सूचना सत्य और पूर्ण है।

मुझे निदेशक मंडल के संकल्प संख्या\*.....तारीख\*..... (तारीख/मास/वर्ष) के द्वारा इस प्ररूप पर हस्ताक्षर और प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

निम्न के द्वारा अंकीय हस्ताक्षरित किया जाए

कंपनी का प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधक या सचिव

\*पदनाम .....

\*निदेशक या प्रबंध निदेशक का निदेशक पहचान संख्या; या प्रबंधक का आयकर स्थायी संख्या (आयकर पैन); या सचिव की सदस्यता संख्या, यदि लागू हो या सचिव का आयकर पैन (कंपनी का सचिव जो आईसीएसआई का सदस्य नहीं है अपना आयकर पैन उल्लिखित कर सकता है/कर सकती है)

### प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने अभिलेख से उपरोक्त विशिष्टियां (संलग्नक सहित) को सत्यापित किया है और उन्हें सत्य और सही पाया है।



में आगे यह प्रमाणित करता हूं कि सभी अपेक्षित संलग्नकों को इस प्ररूप से पूर्ण रूप से से संलग्न किया गया है।

चार्टर्ड अकाउंटेंट (पूर्णकालिक व्यवसाय में) .....लागत लेखा (पूर्णकालिक व्यवसाय में) या कंपनी सचिव (पूर्णकालिक व्यवसाय में)

\*क्या सहबद्ध या फेलो है  सहबद्ध  फेलो

\*सदस्यता संख्या या व्यवसाय संख्या का प्रमाण-पत्र .....

उपांतरत

चैक प्ररूप

पूर्व संवीक्षा

प्रस्तुत

इस ई-प्रपत्र को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कंपनी के रजिस्ट्रार द्वारा अनुरक्षित फाइल पर करने वाली कंपनी द्वारा दिए गए सत्यता के कथन के आधार पर लिया गया;"

[फा.सं.-17/160/2012-सीएल-V]

*रेणुका कुमार*

(रेणुका कुमार)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3 उपखंड (i) सा.का.नि. संख्यांक 432(अ), तारीख 18 जनवरी, 1956 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा उसमें तत्पश्चात् संशोधन किए गए :--

क्रम संख्यांक	अधिसूचना संख्यांक	अधिसूचना की तारीख
1.	का.नि.आ. 2535	1.11.1956
2.	का.नि.आ. 3135	21.12.1956
3.	का.नि.आ. 237	19.1.1957
4.	का.नि.आ. 2105	29.1.1957
5.	का.नि.आ.3038	28.9.1957
6.	का.नि.आ. 3867	7.12.1957
7.	सा.का.नि.48	22.2.1958
8.	सा.का.नि. 723	23.8.1958
9.	सा.का.नि. 750	30.8.1958
10.	सा.का.नि. 1026	1.11.1958
11.	सा.का.नि. 14	3.1.1959
12.	सा.का.नि. 548	9.5.1959
13.	सा.का.नि. 1140	17.10.1959
14.	सा.का.नि. 1224	7.11.1959
15.	सा.का.नि. 1364	12.12.1959
16.	सा.का.नि. 220	27.2.1960
17.	सा.का.नि. 595	28.5.1960
18.	सा.का.नि. 195	18.2.1961
19.	सा.का.नि. 814	24.6.1961
20.	सा.का.नि. 1105	9.9.1961
21.	सा.का.नि. 1408	25.11.1961
22.	सा.का.नि. 653	12.5.1962
23.	सा.का.नि. 344	2.3.1963
24.	सा.का.नि. 628	13.4.1963
25.	सा.का.नि. 97	16.1.1965
26.	सा.का.नि. 822	12.6.1965
27.	सा.का.नि. 1570	30.10.1965
28.	सा.का.नि. 368	19.3.1966
29.	सा.का.नि. 421	18.3.1966
30.	सा.का.नि. 499	9.4.1966
31.	सा.का.नि. 743	21.5.1966
32.	सा.का.नि. 847	4.6.1966
33.	सा.का.नि. 1266	13.8.1966
34.	सा.का.नि. 130	20.1.1968
35.	सा.का.नि. 667	30.6.1973
36.	सा.का.नि. 327 (अ)	10.6.1975
37.	सा.का.नि. 414 (अ)	16.7.1975
38.	सा.का.नि. 2596	1.11.1975

39.	सा.का.नि. 2828	13.12.1975
40.	सा.का.नि. 154	31.1.1976
41.	सा.का.नि. 248 (अ)	24.3.1976
42.	सा.का.नि. 627	14.5.1977
43.	सा.का.नि. 24 (अ)	9.1.1979
44.	सा.का.नि. 1256	6.10.1979
45.	सा.का.नि. 555(अ)	4.9.1982
46.	सा.का.नि. 479(अ)	22.4.1988
47.	सा.का.नि. 694(अ)	10.6.1988
48.	सा.का.नि. 782(अ)	13.7.1988
49.	सा.का.नि. 908(अ)	7.9.1988
50.	सा.का.नि. 1032(अ)	26.10.1988
51.	सा.का.नि. 449(अ)	17.4.1989
52.	सा.का.नि. 510(अ)	24.5.1990
53.	सा.का.नि. 795(अ)	18.9.1990
54.	सा.का.नि. 289(अ)	31.5.1991
55.	सा.का.नि. 614(अ)	3.10.1991
56.	सा.का.नि. 754(अ)	26.12.1991
57.	सा.का.नि. 312(अ)	6.3.1992
58.	सा.का.नि. 353(अ)	26.3.1992
59.	सा.का.नि. 484(अ)	11.5.1992
60.	सा.का.नि. 581(अ)	27.8.1993
61.	सा.का.नि. 621(अ)	24.9.1993
62.	सा.का.नि. 286(अ)	1.3.1994
63.	सा.का.नि. 598(अ)	28.7.1994
64.	सा.का.नि. 697(अ)	20.9.1994
65.	सा.का.नि. 283(अ)	21.3.1995
66.	सा.का.नि. 424(अ)	26.5.1995
67.	सा.का.नि. 251(अ)	21.6.1996
68.	सा.का.नि. 97(अ)	28.2.1997
69.	सा.का.नि. 126(अ)	1.3.1997
70.	सा.का.नि. 16(अ)	6.1.1999
71.	सा.का.नि. 23(अ)	12.1.1999
72.	सा.का.नि. 130(अ)	23.2.1999
73.	सा.का.नि. 788(अ)	29.11.1999
74.	सा.का.नि. 58(अ)	17.1.2000
75.	सा.का.नि. 363(अ)	27.4.2000
76.	सा.का.नि. 638(अ)	26.7.2000
77.	सा.का.नि. 836(अ)	24.10.2000
78.	सा.का.नि. 24(अ)	15.01.2001
79.	सा.का.नि. 35(अ)	24.1.2001
80.	सा.का.नि.51(अ)	31.1.2001
81.	सा.का.नि. 96(अ)	14.2.2001

82.	सा.का.नि. 330(अ)	7.5.2002
83.	सा.का.नि. 5(अ)	3.1.2003
84.	सा.का.नि. 479(अ)	12.6.2003
85.	सा.का.नि. 580(अ)	24.7.2003
86.	सा.का.नि. 56(अ)	10.2.2006
87.	सा.का.नि. 555(अ)	14.9.2006
88.	सा.का.नि. 399(अ)	30.5.2007
89.	सा.का.नि. 500(अ)	24.7.2007
90.	सा.का.नि. 720(अ)	16.11.2007
91.	सा.का.नि. 655 (अ)	12.9.2008
92.	सा.का.नि. 788 (अ)	14.11.2008
93.	सा.का.नि. 824 (अ)	28.11.2008
94.	सा.का.नि. 835 (अ)	4.12.2008
95.	सा.का.नि. 868 (अ)	22.12.2008
96.	सा.का.नि. 872 (अ)	23.12.2008
97.	सा.का.नि. 876(अ)	24.12.2008
98.	सा.का.नि. 183 (अ)	20.03.2009
99.	सा. का. नि. 257(अ)	17.4.2009
100.	सा. का. नि.284 (अ)	24.4.2009
101.	सा. का. नि. 643 (अ)	07.09.2010
102.	सा. का. नि. 649 (अ)	08.09.2010
103.	सा. का. नि. 78 (अ)	10.02.2011
104.	सा. का. नि. 259 (अ)	26.03.2011
105.	सा. का. नि. 351 (अ)	29.04.2011
106.	सा. का. नि. 407 (अ)	26.05.2011
107.	सा. का. नि. 408 (अ)	26.05.2011
108.	सा. का. नि. 514 (अ)	07.07.2011
109.	सा. का. नि. 533 (अ)	14.07.2011
110.	सा. का. नि. 618 (अ)	10.08.2011
111.	सा. का. नि. 716 (अ)	23.09.2011
112.	सा. का. नि. 749 (अ)	05.10.2011
113.	सा. का. नि. 313 (अ)	24.04.2012
114.	सा. का. नि. 411 (अ)	31.05.2012
115.	सा. का. नि. 548 (अ)	10.07.2012
116.	सा. का. नि.577 (अ)	19.07.2012
117.	सा. का. नि.588 (अ)	26.07.2012